

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 183/16

संस्थापन दिनांक:-05/12/16

फाईलिंग नं. 400548/2016

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

बबलू पिता फूलसिंह धुर्वे
उम्र 21 वर्ष, निवासी राशिढाना,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 29.07.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 26.11.2016 को रात करीब 08:10 बजे थाना आमला से 14 किमी. उत्तर स्थित फरियादी पप्पू धुर्वे के घर के सामने ग्राम राशिढाना आमला में फरियादी पप्पू धुर्वे के साथ धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 26.11.2016 को रात करीब आठ बजे अपने घर में अंगार ताप रहा था। तभी वहां अभियुक्त आया और उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे अपने पास रखे चाकू जैसे हथियार से बांये कंधे पर मारा जिससे उसे चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 602/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324

भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये। मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.11.2016 को रात करीब 08:10 बजे थाना आमला से 14 किमी. उत्तर स्थित फरियादी पप्पू धुर्वे के घर के सामने ग्राम राशिढाना आमला में फरियादी पप्पू धुर्वे के साथ धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

6 मिलिन (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना वर्ष 2016 की शाम को 8-8.30 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर के सामने आग ताप रहा था तभी अभियुक्त आया और उसे गालियां देने लगा। उसके द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे धक्का दे दिया जिससे उसके बांये कंधे पर चौखट की कील लग गयी थी तथा अभियुक्त ने उसे मार डालने की धमकी भी दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे सब्जी काटने के चाकू से बांये कंधे पर मार दिया था। साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया है कि धक्का दिया था जिसमें गिरने से उसे कंधे पर चोट आ गयी थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ गाली गलौच कर धक्का मुक्की करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को धारदार चाकू से चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक,

समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी पप्पू धुर्वे के साथ धारदार चाकू से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त बबलू को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 प्रकरण में जप्त सुदा सब्जी काटने का चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

9 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)